

क्रमांक: एफ4 ()आकाशि/नि.सं./पॉलिसी/2024 / 122

दिनांक :- 13.06.2024

समस्त संस्था सचिव/अध्यक्ष,  
पूर्व संचालित निजी महाविद्यालय,  
राजस्थान।

**विषय:-** सत्र 2024-25 के लिए पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों हेतु विभागीय एन.ओ.सी. पोर्टल पर नवीन विषय/संकाय/स्नातकोत्तर क्रमोन्नय हेतु आवेदन खोलने बाबत।  
**संदर्भ:-** राजकाज रेफरेन्स नं. 7627874 दिनांक 30.05.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व संचालित महाविद्यालयों से एन.ओ.सी. पोर्टल पर नवीन विषय/संकाय/स्नातकोत्तर क्रमोन्नय हेतु आवेदन निम्न तालिकानुसार मांगे जाते हैं:-

क्रम संख्या	प्रकरण	सामान्य आवेदन शुल्क (रूपये में)	आवेदन की तिथियां
1	पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों द्वारा पूर्व में संचालित संकाय में नवीन विषय/विषयों हेतु आवेदन	50000	20 जून 2024 तक सामान्य आवेदन शुल्क 21 जून 2024 से 30 जून 2024 तक सामान्य आवेदन शुल्क + ₹.25000/- विलम्ब शुल्क
2	पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों द्वारा नये संकाय हेतु आवेदन	50000	
3	पूर्व संचालित महाविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन प्रति विषय हेतु आवेदन	30000	
4	निरीक्षण शुल्क स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के बाद प्रति वर्ष	25000	

जिन महाविद्यालयों ने सामान्य आवेदन शुल्क के साथ निरीक्षण शुल्क 25000 ₹ जमा नहीं कराया है उन्हें ई-ग्रास के माध्यम से यह निरीक्षण शुल्क (25000/-) जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।  
उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान।
3. निजी सचिव आयुक्त, डी.ओ.आई.टी. विभाग।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
8032847



Signature valid

Digitally signed by P. K. Raj Sen  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.06.13 17:19:54 IST  
Reason: Approval